

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 05 / 04 / 2023

अति-आवश्यक सूचना

कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक/आई.टी./पौ.मै.छा/2023 /54 इन्दौर दिनांक 05/04/2023 के परिपालन में महाविद्यालय में सत्र 2022-23 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित समस्त कक्षाओं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपना छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं किया है वे सभी विद्यार्थी एम.पी.टॉस पोर्टल पर अपने आवेदन करना सुनिश्चित करें। वर्तमान में पोर्टल चालू है। जिन विद्यार्थियों के किसी तकनीकी समस्या के कारण आवेदन नहीं हो रहे हैं वे टिकिट जनरेट कराये तथा अनिवार्यतः शत प्रतिशत आवेदन करना सुनिश्चित करें। समस्त कक्षा प्रभारी उक्त कार्य को गंभीरता से लेते हुए जिन विद्यार्थियों ने अभी अपने छात्रवृत्ति आवेदन प्रस्तुत नहीं किये हैं उनसे व्यक्तिगत संपर्क करे तथा उसका रिकार्ड भी संधारित करें। इसके उपरांत भी यदि कोई विद्यार्थी आवेदन नहीं करना चाहता है तो उनसे लिखित में वचन पत्र लेकर रिकार्ड अपने पास सुरक्षित रखे तथा इसके बाद भी कोई विद्यार्थी सी.एम.हेल्पलाईन या अन्य प्रकार की शिकायत करते हैं तो उसके लिये संबंधित विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इस संबंध में कड़ाई से तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नोट :-

1. एक विद्यार्थी केवल एक ही योजना में आवेदन करना सुनिश्चित करें।
2. गांव की बेंटी एवं प्रतिभा किरण प्रोत्साहन योजना है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आय सीमा 3.00 लाख है।



(प्रो.नरेन्द्र देव)

प्रभारी प्राचार्य,

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर